

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:- उम्मेदी लाल मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 17 वर्ष 2026

मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, मेहरवाला तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

-अपीलान्ट

बनाम

1. अभयराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. (प.ह. डबली खुर्द) ग्राम  
पंचायत मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान  
-रेसपोडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14.02.2026 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी जिसके द्वारा  
अपीलान्ट द्वारा नियम 13 (3) राज पंचायती राज निर्वाचन नियम  
1994 के तहत किया गया आक्षेप नियम 14 के तहत खारिज किया  
गया अपील बाबत आक्षेप स्वीकार किये जावे।

उपस्थित :-

1. श्री देवदत्त भिडासरा , अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेश दीप राय रेसपो.सं. 1
3. श्री राजकीय अधिवक्ता रेसपो0 सं0 2  
निर्णय



दिनांक 17.03.2026

प्रस्तुत अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत मेहरवाला  
के वार्ड नम्बर 12 का स्थायी निवासी है अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 12 में  
मतदाता सूची सं. 319 पर दर्ज है। अपीलान्ट ने रेसपोडेन्ट संख्या 01 अभयराम पुत्र पुराराम का  
मतदाता सूची ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नम्बर 12 की मतदाता सूची क.स. 216 पर प्रारूप  
संख्या 2 में ग्राम पंचायत मेहरवाला की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने पर  
पदाभिहित अधिकारी (प्रगणक) के समक्ष नाम विलोपित किये जाने हेतु आक्षेप आवेदन पत्र प्रस्तुत  
किया। अपीलान्ट द्वारा दिये गये आक्षेप पर ग्राम पंचायत मेहरवाला के भाग संख्या 32 के प्रगणक से  
रिपोर्ट ली गयी रिपोर्ट में रेसपोडेन्ट संख्या 01 अभयराम को स्थायी रूप से ग्राम पंचायत मेहरवाला के  
वार्ड नम्बर 12 में स्थायी रूप से रहती व आक्षेप पर प्रगणक की जांच के पश्चात सहायक निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी (उपतहसीलदार) तलवाडा झील की  
जांच रिपोर्ट करवायी व दिनांक 13.02. 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट में रेसपोडेन्ट संख्या 01 अभयराम व  
उसके परिवार के सदस्यों के वोट वार्ड संख्या 08 ग्राम पंचायत मेहरवाला में होने बताये उक्त जांच  
रिपोर्ट के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी ने निर्णय  
दिनांक 14.02.2026 के द्वारा अपीलान्ट का आक्षेप प्रारूप संख्या-02 खारिज कर दिया। निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2026  
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की बिना कोई जांच किये मनमाने रूप से पारित किया गया होने के  
कारण काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट ने अपने आक्षेप पत्र में यह स्पष्ट कथन किया था कि  
रेसपोडेन्ट संख्या 01 अभयराम चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. गांव डबलीखुर्द के ग्राम पंचायत मसीतावाली  
में स्थायी रूप से निवास करता है इस संबंध में अपीलान्ट को सुनवाई के समय प्रशासक ग्राम  
पंचायत मसीतावाली द्वारा जारी निवास पत्र प्रस्तुत किया जिसमें रेसपोडेन्ट संख्या 01 अभयराम व  
उसके परिवार के कुल 22 सदस्य अपनी कृषि भूमि चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. में गत 20 वर्षों से  
ढाणी बनाकर निवास कर रहे है, परन्तु रेसपोडेन्ट संख्या 02 ने दिनांक 14.02.2026 को अपीलान्ट  
निर्णय पारित करते समय उक्त दस्तावेजों की कोई विवेचना नहीं की इसलिए आदेश दिनांक 14.02.  
2026 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा रेसपोडेन्ट संख्या 01 अभयराम का मतदाता सूची  
ग्राम पंचायत मेहरवाला की निर्वाचन नामावली दिनांक 06.02.2026 को पदाभिहित अधिकारी  
(प्रगणक) के समक्ष प्रारूप 02 में मत विलोपित करने हेतु आवेदन किया था उक्त आक्षेप पत्र की जांच  
रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि वार्ड नम्बर 12 में जो मकान है वह क्षतिग्रस्त है पर निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा उक्त रिपोर्ट को बिना देखे मनमाने  
रूप से अपीलान्ट आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज कुल  
22 मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत मेहरवाला से हटाने बाबत आपत्ति की थी उक्त आक्षेप पर  
पदाभिहित अधिकारी (प्रगणक) ने दिनांक 06.02.2026 को ही रिपोर्ट की थी कि वोटर अपने पुरतैनी



निर्वाचन प्रक्रिया 2 के विरुद्ध दोनो पक्षों अर्थात आक्षेपकर्ता व आक्षेपित को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है। अतः प्रगणक द्वारा प्ररूप 02 में अंकित टिप्पणी के अतिरिक्त निर्वाचन नियमों के तहत उक्तानुसार दोनो पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई दिवस दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों सबूतों का भी अवलोकन किया गया है। इसके अतिरिक्त आक्षेपित मतदाता के निवास स्थान / घर का भौतिक सत्यापन / जांच करवाने हेतु कमेटी का गठन कर कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया है। इस प्रकार प्रगणक टिप्पणी, सुनवाई दिवस पर प्राप्त साक्ष्यों/प्रस्तुत दस्तावेजों गठित कमेटी की रिपोर्ट का विवेचन कर ही उचित रूप से निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दू सं० 2 (घ) आक्षेपित मतदाता अभयराम का मत विलोपन हेतु प्रस्तुत किये गये प्ररूप 02 में प्रगणक रिपोर्ट में कहीं अंकन नहीं है कि अस्थायी रूप से चक 03 एमएसटीएसएम में रहते हैं। कथन अस्वीकार है। ईईआरओ एवं नायब तहसीलदार तलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट / कमेटी रिपोर्ट में वह अंकन है कि चक 03 एमएसटीएसएम में तीन चार ढाणी बनी हुई है। उक्त के साथ साथ रिपोर्ट में यह भी अंकन है कि उक्त ढाणियों में खेती संबंधी यंत्र रखे हुए है। मौका निरीक्षण दौरान उक्त ढाणियों में ताले लगे हुये मिले व कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दू सं० 02 (ड) के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट में उक्त बिन्दू अनुसार ऐसा कही अंकन नहीं है कि सभी मतदाता एक ही मकान ग्राम मेहरवाला में रहना बताया जबकि मौका रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि मौके पर उक्त मतदाता पुश्तैनी मकान पर उपस्थित मिले और उन्होंने दावा किया की वही निवास करते है तथा अपने पहचान संबंधी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये जिसमें उनका दर्ज पता ग्राम पंचायत मेहरवाला है। रिपोर्ट में उक्त मतदाताओं के मत वर्षों से ग्राम पंचायत मेहरवाला में बने हुए बताये है। इस प्रकार अपीलांत द्वारा अपील अन्तर्गत नियम-21 राजस्थान पंचायत नियम 1994 अपील नं. 17/2026 मनोज कुमार बनाम अभयराम आदि प्रकरण में पूर्णरूपेण सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं प्राप्त साक्ष्य / सबूतों व गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया गया।

1. अपीलान्त द्वारा नियम 13(3) राज पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत किया गया आक्षेप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 14 के तहत दिनांक 14.02.2026 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जिसमें राशनकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि के आधार पर साबित होता है की रेस्पोंडेंट मेहरवाला के निवासी है।
2. अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोंडेंट के चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. गांव डबलीखुर्द ग्राम पंचायत मंसीतावाली ढाणीयां निर्मित होने का कथन किया है, इस सम्बन्ध में रेस्पोंडेंट द्वारा ग्राम पंचायत मसीतावाली के कृषि भूमि पर कार्य करने/सामान रखने आदि के लिए निर्माण कार्य कर भी लिया है तो भी दस्तावेजी साक्ष्यों पर वरीयता नहीं दी जा सकती।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांत खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



305  
(उम्मेदी लाल मीना)  
अपर जिला कलेक्टर  
हनुमानगढ़